GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

कार्यालय आदेश

आदेश कमांक 1/30-2013 IED-SS (1) दिनांक 01.10.2013

समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत कार्यरत सभी संसाधन/विशेष अध्यापको की अनुबंध अवधि का विस्तार दिनांक 31.10.2014 तक 19000/– रूपये प्रतिमाह समेकित वेतन पर निम्नलिखित शर्तो के तहत किया जाता है:–

1. अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान सभी संसाधन/विशेष अध्यापको को 19,000/– रूपये प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक देय होगा।
2. यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश कार्य छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक जमा करवाना होगा।
3. यदि आपके प्रमाण पत्रो में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई जाती है तो आपको तुरत प्रभाव से इस पद व उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
4. आपको अन्य शिक्षकों की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय होग। परन्तु कार्यालय/विद्यालय मे आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्य पर बुलाया जा सकता है ।
5. आपको विभाग के द्वारा निर्धारित तथा अन्य सौंपे जाने वाले 'कार्यो व उत्तरदायित्वों' का निर्वहन समयबद्ध, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करना होगा।
6. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
7. पुरूष कर्मचारी को एक कलेण्डर वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश देय होंगें तथा महिला कर्मचारी को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। शेष आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
8. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित अधिकारी के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगें।
9. यह पद संस्थागत कॉडर का होने के कारण इस पद से स्थानांतरण नहीं होगा।
10. आप अपना आकस्मिक अवकाश अपने सम्बन्धित अधिकारी से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा। एक सप्ताह में तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना भुगतान अवकाश/प्रसूति अवकाश लेने पर स्वीकृत अवकाश की प्रति तुरन्त निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करनी होगी।
11. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक या अवैधानिक कार्य में लिप्त पाये जाते है तो आपको इस पद से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के संबधित संबधित प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक/जिला शिक्षा अधिकारी/एवं निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
12. यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।

सुरीना राजन
प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ।

पृष्ठांकन कमांक–सम दिनांक पंचकुला 22/11/2013

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
5. सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
6. सभी सम्बन्धित प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक।
7. सभी सम्बधित संसाधन/विशेष अध्यापक।
8. आई.टी. सेल, (मुख्यालय स्तर)।

उप–निदेशक (IED-SS)
कृते महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।